CHAPTER - XIX OFFENCES AND PENALTIES

Rule 162: Procedure for compounding of offences

- (1) An applicant may, either before or after the institution of prosecution, make an application under sub-section (1) of section 138 in FORM GST CPD-01 to the Commissioner for compounding of an offence.
- (2) On receipt of the application, the Commissioner shall call for a report from the concerned officer with reference to the particulars furnished in the application, or any other information, which may be considered relevant for the examination of such application.
- (3) The Commissioner, after taking into account the contents of the said application, may, by order in FORM GST CPD-02, on being satisfied that the applicant has co-operated in the proceedings before him and has made full and true disclosure of facts relating to the case, allow the application indicating the compounding amount and grant him immunity from prosecution or reject such application within ninety days of the receipt of the application.
- (4) The application shall not be decided under sub-rule (3) without affording an opportunity of being heard to the applicant and recording the grounds of such rejection.
- (5) The application shall not be allowed unless the tax, interest and penalty liable to be paid have been paid in the case for which the application has been made.
- (6) The applicant shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of the order under sub-rule (3), pay the compounding amount as ordered by the Commissioner and shall furnish the proof of such payment to him.
- (7) In case the applicant fails to pay the compounding amount within the time specified in sub-rule (6), the order made under sub-rule (3) shall be vitiated and be void.
- (8) Immunity granted to a person under sub-rule (3) may, at any time, be withdrawn by the Commissioner, if he is satisfied that such person had, in the course of the compounding proceedings, concealed any material particulars or had given false evidence. Thereupon such person may be tried for the offence with respect to which immunity was granted or for any other offence that appears to have been committed by him in connection with the compounding proceedings and the provisions the Act shall apply as if no such immunity had been granted."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

अध्याय 19 अपराध और शास्तियाँ

नियम 162: अपराधों के प्रशमन के लिए प्रक्रिया

- (1) कोई आवेदक, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी सीपीडी—01 में, अपराध के प्रशमन के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा।
- (2) आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त, आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या कोई अन्य सूचना, जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बन्धित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा।
- (3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर, उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी सीपीडी—02 में आदेश द्वारा या तो इस संबंध में समाधान होने पर कि आवेदक ने उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और मामले से संबंधित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, यह प्रशमित रकम इंगित करते हुए आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसा आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।
- (4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए बिना और ऐसी नामंजूरी के कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं किया जाएगा।
- (5) आवेदन अनुज्ञात नहीं जाएगा जब तक संदाय के लिए दायी कर, ब्याज और शास्ति का मामले में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है।
- (6) आवेदक उपनियम (3) के अधीन आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अविध के भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्रशमित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का सबूत प्रस्तुत करेगा।
- (7) यदि आवेदक उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर प्रशमित रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तब उपनियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो जाएगा।
- (8) किसी व्यक्ति को उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति, आयुक्त द्वारा किसी समय भी प्रत्याहत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने प्रशमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तात्विक विशिष्टियां छिपायी थी या मिथ्या साक्ष्य दिया था तदुपरि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जो कि उसके द्वारा प्रशमन कार्यवाहियों के संबंध में कारित किया गया प्रतीत होता है और अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी।

www.cggst.com